अब तक तकरीबन 1.64 लाख मामलों के स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मंजूर की जा चुकी है। चूंकि स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेने और उसमें भोगी गई यातनाओं का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या बताना संभव नहीं है जिन्हें अब तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। आवेदन पत्रों/अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर ही पेंशन के मामलों पर विचार किया जाता हैं और उन्हें प्रैसेस किया जाता है।

राज्य सीमा विवाद

45. **श्री अखिलेश दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सरकार के पास निपटान के लिए लंबित कुल राज्यों के सीमा विवाद संबंधी मामलों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमा विवाद कब से लंबित है;

(ग) किन राज्य सरकारों इन इस संदर्भ में अपनी-अपनी विधान सभाओं में पारित संकल्पों को केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया है; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अनिर्णित पड़े मुख्य अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद निम्न प्रकार हैः-

(1) महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद। ये विवाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय से लम्बित पड़े हैं।

(2) पंजाब-हरियाणा सीमा विवाद । ये विवाद 1966 में संयुक्त राज्य पंजाब के पुनर्गठन के समय से लम्बित पड़े हैं।

जबकि महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद कुछ सीमावर्ती गांवों और शहरों के बारे में परस्पत विरोधी राज्य क्षेत्रीय दावों से संबंधित हैं । पंजाब-हरियाणा सीमा विवाद का सबंध चंडीगढ़ का हस्तांतरण पंजाब को किए जाने और चंडीगढ़ के बदले कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्रो का हस्तांतर, पंजाब से हरियाणा को किए जाने से संबंधित है।

बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच भी सीमा विवाद है। तथापि ये विवाद , नदियों के बदलते बहाव के कारण गांवोम के हस्तांतरण/पुर्न-हस्तांतरण द्वारा उत्पन्न राजस्व प्रबन्ध की कठिनाईयों को दूर करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 में निर्धारित सीमा सिद्धांत अंगीकार किए जाने से प्रभावित प्राइवेट पार्टियों के बीच है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य विधान मंडल ने, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लम्बित पड़े सीमा विवादों में हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए संकल्प पारित किए है। 1967 में तत्कालीन मैसूर विधान मंडल ने महाजन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जान की मांग करते हुए संकल्प पारित किए थे।

(घ) जहां केन्द्र सरकार ने समय-समय पर इन विवादों को सुलझने में मदद करने के प्रयास किए हैं वहां तत्वतः यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की हैं कि वे अपने मतभेद आपस में मिलजुलकर सुलझा लें। केन्द्र सरकार, इस संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों को हर संभव सहायता सहर्ष प्रदान करेगी।

Deterioration of Law and Order in Capital

46. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the law and order situation in the capital has deteriorated since the past few months and cases of murders, kidnapping and looting have increased manifold;

(b) if so, whether Delhi Police has totally failed to put a check on such crimes;

(c) if so, the details of such crimes held during the last three months; and

(d) the steps, the Union Government and the State Government propose to take to provide safe life to citizens'?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) While the over-all law and order situation in the capital continues to the under control, the number of reported cases of murder, kidnapping and looting (robbery) in the last three months.compare with those in the corresponding period last year in the following manner: